<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर</u>

<u>अपील/डिक्री/टी ए/5518/2004/गंगानगर</u>

वीरू राम उर्फ रावताराम पुत्र रेवन्ताराम जाति नायक निवासी गांव 3 एल जी एम तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर

अपीलार्थी

बनाम

1.विश्वनाथ सिंह फौत जरिये कायम मुकाम–

1/1. श्रीमती लीला देवी पत्नी स्व.विश्वनाथ 1/2.कुलदीप सिंह 1/3.बलविन्द्र सिंह 1/4.प्रवीण कुमार

1/5.सुनीता कुमारी 1/6.पुष्पा देवी 1/7.अनिता कुमारी पिसरान विश्वनाथ सिंह जाति जुलाहा निवासी बसवेडा तहसील जस्माकोडा जिला कंगडा हि.प्र.

2. कश्मीर सिंह पुत्र रतनी देवी जाति जुलाहा निवासी बसवेडा तहसील जस्माकोडा जिला कंगडा हि.प्र.

3. सुदेश कुमारी विधवा गुरूदेव सिंह पसुत्र श्रीमती रतनी देवी जाति जुलाहा निवासी बसलेडा तहसील जस्माकोडा जिला कांगडा हि.प्र.

प्रत्यर्थीगण

अपील/डिक्री/टीए/6005/2004/गंगानगर

1.विश्वनाथ सिंह फौत जरिये कायम मुकाम–

1/1. श्रीमती लीला देवी पत्नी स्व.विश्वनाथ 1/2.कुलदीप सिंह 1/3.बलविन्द्र सिंह 1/4.प्रवीण कुमार

1/5.सुनीता कुमारी 1/6.पुष्पा देवी 1/7.अनिता कुमारी पिसरान विश्वनाथ सिंह जाति जुलाहा निवासी बसवेडा तहसील जस्माकोडा जिला कंगडा हि.प्र.

2. कश्मीर सिंह पुत्र रतनी देवी जाति जुलाहा निवासी बसवेडा तहसील जस्माकोडा जिला कंगडा हि.प्र.

3. सुदेश कुमारी विधवा गुरूदेव सिंह पसुत्र श्रीमती रतनी देवी जाति जुलाहा निवासी बसलेडा तहसील जस्माकोडा जिला कांगडा हि.प्र.

अपीलार्थी

बनाम

1. वीरू राम उर्फ रावताराम पुत्र रेवन्ताराम जाति नायक निवासी गांव 3 एल जी एम तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विजयनगर जिला श्रीगंगानगर

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ

श्री मनोज कुमार नाग सदस्य
श्री सतीश चन्द्र गोदारा सदस्य

उपस्थित
अपील/डिक्री/टी ए/5518/2004
श्री पवन सिंह अभिभाषक अपीलार्थी श्री वीरूराम
श्री प्रदीप विश्नोई अभिभाषक विश्वनाथ सिंह व कश्मीर सिंह
अपील/डिक्री/टीए/6005/2004
श्री प्रदीप विश्नोई अभिभाषक अपी.विश्वनाथ व कश्मीर सिंह
श्री सतवीर सिंह अभिभाषक प्रत्यर्थी वीरूराम
श्रीमती पूनम माथुर अतिरिक्त राज.अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः 28.02.2020

यह दोनों अपीलें राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय वि डिक्री दिनांक 25–10–2004 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के न्यायालय में विश्वनाथ सिंह व कश्मीर सिंह ने वीरूराम, सुदेश कुमारी व राज्य सरकार के विरूद्ध अधिनियम की धारा 183 के तहत वाद पत्र में अंकित आराजी के बाबत प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 20–8–97 से वादी का वाद स्वीकार कर लिया,जिसके विरूद्ध वीरूराम ने

राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील पेश की जो दिनांक 7–5–99 को स्वीकार कर प्रकरण पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु उपखण्ड अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया। तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 28–5–2001 से वादी का वाद खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर विश्वनाथ सिंह वगैरा की ओर से राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के न्यायालय में अपील पेश की गई जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 25–10–2004 के द्वारा अपील खारिज कर वादग्रस्त आराजी का आवंटन निरस्त करते हुये उक्त भूमि को बहक सरकार रिज्यूम करने के आदेश पारित किये। इससे व्यथित होकर यह दो अलग अलग अपीलें मण्डल के समक्ष पेश की गई हैं।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपील संख्या 5518/2004 के अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा प्रकरण की विवादग्रस्त विषयवस्तु से हटकर एक नया वाद बनाकर जिसे पक्षकारान ने प्रस्तुत ही नहीं किया, न इस बिन्दु पर किसी पक्षकार का लिखित अभिकथन है,न तनकीयात है और न साक्ष्य है और न अपील की विषयवस्तु है। न्यायालय किसी लिखित अभिकथन के बाहर जाकर कोई नया प्रकरण नहीं बना सकता। वर्तमान वाद आवंटी के कानूनी वारिसान की तरफ से खातेदार की हैसियत से अपीलार्थी वीरूराम के विरूद्ध अधिनियम की धारा 183 के तहत प्रस्तुत किया था जिसका अपीलार्थी द्वारा इस आधार पर विरोध किया गया था कि वह उसका खरीददार है। ऐसी स्थिति में अधिक से अधिक वाद खारिज हो सकता था या मंजूर कर डिक्री हो सकता था। जिन व्यक्तिगत पक्षकारों के मध्य यह वाद था ,उनमें यह स्वीकृत तथ्य है कि

विवादग्रस्त भूमि की सनद जारी हो चुकी थी और सनद जारी होने के बाद बेचान पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। अपीलार्थी इकरारनामा के आधार पर वादीगण की सहमति से काबिज है। इसलिये अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत कायम रखा जावे।

5. अपील संख्या 6005/2004के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अन रजिस्टर्ड इकरारनामा किसी प्रकार से हक व अधिकारों का निर्धारण नहीं करता है और इकरारनामे पर अधिकारों के निर्धारण हेतु तीन वर्ष की मियाद होती है उसके बाद मियाद समाप्त होने पर स्वतः ही निरस्त हो जाता है और इकरारनामा शून्य हो जाता है। प्रत्यर्थी प्रतिवादी द्वारा अपना हक इकरारनामे के आधार पर बताया है जो रजिस्टर्ड नहीं है। मूल इकरारनामा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश भी नहीं किया गया है। इसलिये उससे कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। इसलिये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय निरस्त किये जाकर प्रत्यर्थी संख्या 1 को बेदखल करने के आदेश प्रदान किये जावें।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में वर्तमान वाद आवंटी के वारिसान द्वारा खातेदार की हैसियत से बेदखली का अधिनियम की धारा 183 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था जिसका विपक्षी द्वारा इस आधार पर विरोध किया गया था कि वह उक्त आराजी का खरीददार है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत वाद स्वीकार या खारिज हो सकता था। राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया गया था और न कोई अनुतोष मांगा गया था। विचारण न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय

द्वारा वादी का वाद खारिज किया था जिसके विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा कोई अपील नहीं की गई। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के पक्ष में जो अनुतोष दिया गया है वह प्रकरण की परिस्थिति में प्रदान नहीं किया जा सकता था। यह विवाद दो निजी पक्षकारों के मध्य था। प्रस्तुत वाद में राज्य सरकार को जरिये तहसीलदार पक्षकार बनाया गया था और तहसीलदार ने जरिये जबाब दावा यह कथन नहीं किया है कि विवादग्रस्त आराजी का गैर खातेदारी के दौरान बेचान होने के कारण उक्त आराजी को रकबा राज किया जावे और न ही इस बाबत कोई तनकी कायम की गई थी।

8. जहां तक अन रजिस्टर्ड इकरारनामे के आधार पर हक व अधिकारों के निर्धारण का प्रश्न है,प्रथम तो अन रजिस्टर्ड इकरारनामे के आधार पर कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं और यदि यह मानते हैं कि उन्हें उक्त दस्तावेज से अधिकार प्राप्त होते हैं तो इसके लिये उन्हें सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये। द्वितीय अन रजिस्टर्ड इकरारनामे की मियाद तीन वर्ष है उसके बाद स्वतः ही निरस्त हो जाता है। ऐसे अन रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर किसी प्रकार के अधिकारों का सृजन नहीं होता है। इसके अतिरिक्त मूल इकरारनामा भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है मात्र छाया प्रति प्रस्तुत की गई है जिसको विधिक रूप से मान्यता प्रदान नहीं की जा सकती है। इस प्रकार प्रथम अपीलीय न्यायालय ने पक्षकारों की प्लीडिंग से परे जाकर निर्णय पारित किया है। इसलिये उसका समर्थन नहीं किया जा सकता।

9. उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में दोनों अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय निरस्त किया जाता है। प्रकरण निर्णय में किये गये विवेचन अनुसार पुनः विधि अनुसार निर्णय पारित करने हेतु राजस्व अपील

प्राधिकारी श्रीगंगानगर को प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभय पक्षकारान को राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के न्यायालय में दिनांक 20.03.2020 को उपस्थित रहने के लिये पाबन्द किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतीश चन्द्र गोदारा)
सदस्य

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य